रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228708
CG-DL-E-03082021-228708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

विषयः चीन जन. गण. के मूल के अथवा यहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म" के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की समाप्ति।

फा. सं. 6/1/2020-डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; मै. पायोनियर पॉलीलेदर्स लिमि. (जिसे यहां "आवेदक" या ''घरेलू उद्योग''भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण (जिसे यहां "संबंद्ध देश" भी कहा गया है) सेल्फ-अधेसिव पॉली विनाइल क्लोराइड फिल्म (जिसे यहां विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन रोधी शुल्क की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

2. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9A के अनुसार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 7 फरवरी, 2020 की फा. सं. 6/1/2020-डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध वस्तु के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा

और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी जांच की शुरूआत की ।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क. प्राधिकारी ने संबधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया ।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 7 फरवरी, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

ग. प्राधिकारी ने दिनांक 7 फरवरी, 2020 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी थी । इसमें हितबद्ध पक्षकारों से विहित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने अनुरोधों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी भेजी थी ।

ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए इनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था । उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी ।

च. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध देश के आयातों के सौदावार ब्यौरे उपलबध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए हैं । प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण हेतु डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है ।

छ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 10 दिसंबर, 2020 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया । मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को खंडन अनुरोधों के साथ लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की और 22 जनवरी, 2021 को प्रकटन विवरण जारी किया ।

ज. तथापि, पदासीन निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण 23 फरवरी, 2021 को दूसरी मौखिक सुनवाई हुई और मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को खंडन अनुरोधों सहित लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ।

झ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की और 20 जुलाई, 2021 को प्रकटन विवरण जारी किया । इस प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियां घरेलू उद्योग सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं ।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

4. आवेदक ने दिनांक 25 जुलाई, 2021 के अपने पत्र में यह अनुरोध किया कि उनके आवेदन को वापस लिया गया माना जाए । उनका अनुरोध निम्नानुसार है :-

''हम मानते हैं कि हमारे द्वारा वास्तविक उत्पादन का तथ्य सबसे महत्वपूर्ण आधार है और कानून के अंतर्गत संरक्षण की मांग हेतु केवल क्षमता पर्याप्त नहीं है । जैसा स्पष्ट किया गया है, चूंकि हम उन सभी उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिनके लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपवर्जन की मांग की गई है और जिन्हें वर्तमान प्रकटन विवरण में बाहर रखा

गया है । चूंकि हम उन सभी उत्पाद प्रकारों का पहले से उत्पादन करते हैं, इसलिए हम शुल्कों से संभावित परिहार का समाधान करने के लिए उत्पाद के संपूर्ण दायरे पर एडीडी की मांग करने की व्यवहार्यता का पता लगाएंगे । हम समझते हैं कि जब तक" सेल्फ अधेसिव विनायल" के पूरे दायरे पर एडीडी लागू नहीं होता है, तब तक कोई प्रस्तावित उपाय निरर्थक है ।

उपर्युक्त के मद्देनजर हम आप से अनुरोध करते हैं कि हमारे आवेदन को वापस लिया गया माना जाए । हम वर्तमान जांच शुरू करने के लिए डी जी टी आर के आभारी हैं "

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

5. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बारे में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का दावा करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के दायरे के आधार पर इस जांच की शुरूआत की थी । तद्नुसार दिनांक 25 जुलाई, 2021 से घरेलू उद्योग के पत्र द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) का पाठ निम्नानुसार है :

"14. जांच की समाप्ति – निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि–

(क) उन्हें उस प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए कोई लिखित अनुरोध प्राप्त होता है । "

6. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 में कतिपय स्थितियों में जांच की समाप्ति का प्रावधान है, जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जहां उस प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है । नियमावली के नियम 14(1)(क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे, यदि उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा कोई लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

7. वर्तमान जांच में, मै. पायोनियर पॉली लैदर लिमिटेड आवेदक घरेलू उत्पाद है जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग आवेदन का दायरा बढ़ाने के लिए आवेदन वापस लेना चाहता है । यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 14(क) प्राधिकारी को एक बार घरेलू उद्योग द्वारा जांच समाप्ति हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर जांच समाप्ति के मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं देता है।

ड. निष्कर्ष

8. घरेलू उद्योग, मै. पायोनियर पॉलीलैदर्स लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित *"सेल्फ अधेसिव पॉली विनायल क्लोराइड फिल्म"* के आयातों के विरूद्ध दिनांक 7 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/01/2020-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई जांच को समाप्त करते हैं ।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2021

Subject: Termination of Anti-dumping investigation on the imports of "*Self-adhesive Polyvinyl Chloride Film*" originating in or exported from China PR.

F.No.6/1/2020-DGTR.—A. Introduction

1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Anti- Dumping Rules); M/s Pioneer

Polyleathers Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") has filed an application before the Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the Self-Adhesive Polyvinyl Chloride Film (hereinafter also referred to as the product under consideration or the "subject goods") from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

2. The Authority, on the basis of a duly substantiated application filed by the applicants in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, initiated the anti-dumping investigation vide File No. F.No.6/1/2020-DGTR dated 7th February, 2020, published in the Gazette of India, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. Procedure

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

b. The Authority issued a public notice on 7th February, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from subject country.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 7th February, 2020, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the available information. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

f. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for determination of volume and value of imports of product concerned in India.

g. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10th December, 2020. The parties, which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders submissions. Authority examined the submissions by the interested parties and issued disclosure statement on 22nd January 2021.

h. However, pursuant to a change in the incumbent Designated Authority, a second oral hearing was held on 23rd February 2021 and the parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

i. Authority examined the submissions by the interested parties and issued the disclosure statement on 20th July 2021. Comments on this disclosure statement were filed by various interested parties including domestic industry.

C. Request Received from Domestic Industry

4. The applicant through their letter dated 25th July, 2021 have requested that their application be treated as withdrawn. Their request states as under –

"We understand that the fact of actual production by us is of paramount consideration and mere capability is not sufficient to seek protection under the law. As explained, we have since produced all those products for which exclusions have been sought by the interested parties and which have been excluded in the present disclosure statement. Since we have already produced all those product types, we would rather explore the feasibility of seeking ADD on complete scope of the product in order to address any possible avoidance of duties. We consider that unless the ADD is imposed on full scope of "self-adhesive vinyl", any proposed measure is meaningless.

In view of the above, we request you to kindly treat our application as withdrawn. We are grateful to the DGTR for undertaking the present investigation"

D. Examination by the Authority

5. The Authority had undertaken this investigation based on the scope of petition filed by the domestic industry on subject goods produced by them, claiming material injury on account of dumped imports from the subject country. The request made by the domestic industry, vide its letter dated 25th July 2021 has accordingly been examined. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules reads as under:

"*I4. Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –*

(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated'

6. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by the domestic industry being affected, at whose instance the investigation was initiated. Rule 14 (1)(a) of Rules provides that the Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if it receives such a request in writing from or on behalf of the affected domestic industry.

7. In the present investigation M/s Pioneer Polyleathers Limited is the applicant domestic producer, on whose instance the investigation was initiated. The Authority notes that the domestic industry desires to withdraw its application so as to enhance the scope of its application. It is noted that Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules does not grant any discretion to the Authority in the matter of termination of investigation, once the domestic industry files a written request for termination of the investigation.

E. Conclusion

8. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, M/s Pioneer Polyleathers Limited, and under the provisions of Rule l4(a) of the Anti-Dumping Rules the Authority hereby terminates the investigation initiated on 7th February 2020 *vide* notification No.6/01/2020- DGTR against the imports of "*Self-adhesive Polyvinyl Chloride Film*" originating in or exported from China PR.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.03 22:36:46 +05'30'